बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
संकल्प

विषयः- **राज्य की खाद्यान्न भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि की अनिवार्यता को देखते हुए नावार्ड द्वारा RIDF XVIII के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण रू0 238.85 करोड़ एवं राज्य अंशदान रू0 12.57 करोड़(कुल रू0 251.42 करोड़) से कृषि रोड मैप के अन्तर्गत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के लिए कुल 3,14,000 मे0टन भंडारण क्षमता के 340 गोदामों का निर्माण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम से कराने के संबंध में ।**

सरकार द्वारा जन हित में चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं यथा-बी0पी0एल0, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा, ए0पी0एल0, एम0डी0एम0 इत्यादि के अन्तर्गत खाद्यान्न के उठाव, भण्डारण एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को आपूर्ति का कार्य, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम (राज्य खाद्य निगम) द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त रब्बी एवं खरीफ विपणन मौसम में क्रमशः गेहूँ एवं धान अधिप्राप्ति के कार्य हेतु राज्य खाद्य निगम नोडल एजेंसी हैं । सम्प्रति उक्त कार्यो हेतु निगम को 16.45 लाख मे0टन भंडारण क्षमता की आवश्यकता है । राज्य खाद्य निगम के पास आवश्यकता से कम भंडारण क्षमता के गोदाम कार्यरत हैं । भंडारण क्षमता की कमी को पूरा करने के लिए कृषि रोड मैप के अन्तर्गत वर्ष 2017 तक निगम द्वारा कुल 10 लाख मे0टन भंडारण क्षमता की अभिवृद्धि किये जाने का लक्ष्य रखा गया है ।

वर्ष 2012-13 में 2.84 लाख मे0टन भंडारण क्षमता में वृद्धि किये जाने हेतु रू0 207.56 करोड़ की लागत से 423 गोदामों एवं वर्ष 2013-14 में 2.18 लाख मे0टन भंडारण क्षमता में वृद्धि किये जाने हेतु रू0 169.27 करोड़ की लागत से 211 गोदामों का निर्माण, भवन निर्माण विभाग, बिहार द्वारा किया जा रहा है ।

राज्य की भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि की अनिवार्यता को देखते हुए नाबार्ड द्वारा RIDF XVIII के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण 238.85 करोड़ (दो सौ अड़तीस करोड़ पचासी लाख रूपये) एवं राज्य अंशदान रू0 12.57 करोड़ (बारह करोड़ संतावन लाख रूपये), कुल 251.42 करोड़ से कृषि रोड मैप के अन्तर्गत 308 प्रखंड परिसर एवं 25 कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रांगण में बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के लिए कुल 3,14,000 मे0टन भंडारण क्षमता के 340 गोदामों का निर्माण बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया है ।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि संकल्प को ''बिहार गजट'' के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शिशिर सिन्हा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र03विविध(गो0नि0)-03/2013 2914 दिनांक- 9/5/2013

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र03विविध(गो0नि0)-03/2013 2914 दिनांक- 9/5/2013

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र03विविध(गो0नि0)-03/2013 2914 दिनांक- 9/5/2013

प्रतिलिपि- सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र03विविध(गो0नि0)-03/2013 2914 दिनांक- 9/5/2013

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 25.04.2013 के मद संख्या 16 के अनुपालन के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक-प्र03विविध(गो0नि0)-03/2013 2914 दिनांक- 9/5/2013

प्रतिलिपि- प्रशाखा-05 (बजट शाखा) खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रधान सचिव